सं. 19024/22/2017-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
27 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी दौरे पर हवाई यात्रा संबंधी दिशानिर्देश - प्राधिकृत एजेंट से हवाई टिकट की खरीद।

अधोहस्ताक्षरी को ऐसी हवाई यात्रा जिसमें यात्रा की लागत भारत सरकार वहन करती है, से संबंधित दिशानिर्देशों के बारे में इस विभाग के दिनांक 19.07.2017 के का. ज्ञा. सं. 19024/22/2017-ई.IV का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। इस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि इन अनुदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और सभी में परिचालित किए जाएं ताकि नियमों की 'जानकारी के अभाव' का बहाना न बनाया जा सके। इन अनुदेशों के बावजूद, अनधिकृत यात्रा एजेंटों से हवाई टिकट की खरीद के कारण हवाई यात्रा के दिशानिर्देशों में छूट के लिए बड़ी संख्या में मामले अब भी इस विभाग में प्राप्त हो रहे हैं।

2. इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि हवाई यात्रा के ऐसे सभी मामले, जिनमें टिकटें इस विभाग का दिनांक 19.07.2017 का कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाने के बाद खरीदी गई हैं और प्राधिकृत एजेंट से हवाई टिकट की खरीद से संबंधित हवाई यात्रा दिशानिर्देशों में छूट मांगी गई है, व्यय विभाग को भेजे जाने से पहले उन पर प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव का अनुमोदन होना चाहिए।

इसे सचिव व्यय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्टांकन सूची के अनुसार)।